

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

5

अपील संख्या
12/163/2016

प्रवेश तिथि
25-11-2016

निर्णय दिनांक
16-05-2018

01- रसूला पुत्र जुम्मा जाति मेव निवासी ग्राम मांदलाकला तहसील रामगढ़ जिला अलवर

—: अपीलाण्ट

बनाम

01- तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर।

—: रेस्पौडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार रामगढ़
दिनांक 13.10.2016 अन्तर्गत धारा 91 भू0
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 277/2016

—:निर्णय:—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 13.10.2016 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम मांदलाकला की सरकारी बारानी 01 भूमि आराजी खसरा नम्बर 137 रकबा 0.39 है0 में से 0.10 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्जे सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

पत्रावली में लम्बे अरसे से अधि0 अपीलांट अनुपस्थित चल रहे हैं। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधि0 अपीलांट को बार-बार अवसर देने के उपरांत भी उपस्थित नहीं हो रहे हैं। आज भी अधि0 अपीलांट को बार-बार आवाज लगवायी गयी। बावजूद भी अधि0 अपीलांट अनुपस्थित है। जिससे साफ जाहिर होता है कि अधि0 उपस्थित होकर पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। पत्रावली के अवलोकन से यह महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट होता है कि अपीलांट के पक्ष में दिनांक 25.11.2016 को एकतरफा स्थगन न्यायालय द्वारा न्यायहित में जारी किया गया था। जिसका दुरुपयोग अपीलांट द्वारा किया जा रहा है तथा न्यायालय को गुमराह किय जा रहा है जो कतई न्यायोचित नहीं है। आज भी अपीलांट अधि0 तथा स्वयं अपीलांट के अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। चूंकि विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में निवेदन किया है कि ग्राम मांदलाकला की सरकारी बारानी 01 भूमि आराजी खसरा नम्बर 137 रकबा 0.39 है0 में से 0.10 है0 पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 09.09.2016 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट से अपीलार्थी का पश्चात्वर्ति अतिक्रमण साबित होता है अपीलार्थी द्वारा शपथ पत्र दिनांक 25.11.2016 में कब्जा छोडना बताया गया है, तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 30.04.2018 अनुसार भी अपीलांट द्वारा कब्जा छोडना जाहिर किया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से मुक्त किया जाता है। तथा दण्ड स्वरूप आरोपित पैनल्टी यथावत रखी जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ़्तर की जावे। निर्णय आज दिनांक 16-05-2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)